

जेल मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र. 6555 / वारंट-1 / 2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 03 / 2016

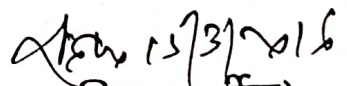
डॉ. देवाशीष बोस
विभागाध्यक्ष
अपराधशास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान विभाग
डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर

विषय : केन्द्रीय जेल सागर में प्रोजेक्ट कार्य हेतु भ्रमण की स्वीकृति बावत्।
संदर्भ : आपका पत्र क्र. अप./2016/269 दिनांक 2.3.2016।

विषयांतर्गत में आपके संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के क्रमिनलॉजी विषय के एम.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के निम्नलिखित 03 छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य हेतु केन्द्रीय जेल सागर का भ्रमण करने की स्वीकृति जेल नियमों के अध्याधीन जेल सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- (1) तिथि एवं समय का निर्धारण अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर से संपर्क कर सुनिश्चित किया जाना होगा।
- (2) उक्त विद्यार्थी 01 शैक्षणिक स्टाफ के साथ जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही जेल भ्रमण कर सकेंगे।
- (2) जेल में मोबाइल फोन एवं अन्य प्रतिसिद्ध सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा आदेशित)

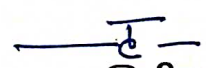

(आर. एस. विजयवर्गीय)

 जेल उप महानिरीक्षक (विधि)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक / 03 / 2016

पृ. क्र. / वारंट-1 / 2016
प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय जेल सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


जेल उप महानिरीक्षक (विधि)
मध्यप्रदेश, भोपाल